रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 1987/श्रावण 8, 1909
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 1987/SRAVANA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1987

आदेश

का. आ. 750(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 11 मई, 1987 की का. आ. सं. 463(अ) को अधिक्रान्त करते हुए, श्री के. विश्वा-

नाथन्, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को, एतद्द्वारा विशेष रूप से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ सशक्त करती है।

[फा स. 671/1/87-सी.शु.-8]

एस. के. चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th July, 1987

ORDER

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-seciton (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 463(E), dated the 11th May, 1987, the Central Government hereby specially empowers Shri K. Viswanathan, Joint Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 671/1/87-CUS. VIII]

S. K. CHOWDHRY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987